न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—364/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/364)

1. तेजू पुत्र श्री रामकिशन, जाति जाट, निवासी ग्राम भोगादीत तहसील अंराई जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. समोत्रा पत्नी स्व0 श्री भंवरलाल,
2. राजी पुत्री स्व0 श्री भंवरलाल नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती समोत्रा।
3. कल्याण पुत्र श्री रामकरण
4. कैलाश पुत्र रामकरण
5. किशना पुत्र रामकरण
   जाति—जाट, निवासीगण—पचीपला हाल निवासीगण—ग्राम भोगादीत, तहसील अंराई जिला अजमेर।
6. कान्ता पत्नी किशनलाल
7. घीसी पत्नी रामकरण, जाति—जाट
8. मोहनी पत्नी स्व0 जगदीश
9. रमेशी पत्नी कैलाश
10. संतोक पत्नी कल्याण
11. कमला पुत्री भूरा,
12. गोपाल पुत्र भूरा
13. घीसा पुत्र भूरा
14. चौथी पुत्री भूरा
15. प्रेम पुत्री भूरा
16. रामजीवण पुत्र भूरा
17. लाडा पुत्री छीतर
18. श्रवण पुत्र छीतर
19. हगामी पुत्र भूरा
    समस्त जाति—जाट, निवासीगण—ग्राम भोगादीत, तहसील अरांई, जिला अजमेर।
20. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा अंराई, जिला अजमेर।
21. उप—पंजीयक, अंराई जिला अजमेर।
22. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अंराई जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 20.10.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरांई राजस्व वाद संख्या 01/2023

उपस्थितः—

1. श्री जी0एस0 लखावत अभिभाषक अपीलांट्स.
2. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 21 व 22.
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 अनुपस्थित.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः—30.04.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 01/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी अंराई ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 20.10.2023 के द्वारा प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 01/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी अरांई ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसरण में प्रकरण का विवेचन किये बिना ही अत्यन्त ही तौर पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण का निस्तारण करते हुए बिना विधिपूर्ण कारण वर्णित किये प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज कर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी अंराई के न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र के अभिवचनों में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया कि वादी तथा प्रतिवादीगण सहकाश्तकार है तथा हरचन्द पुत्र हीरा अविवाहित फौत होने के कारण उसके हिस्से पर भी वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उसके विधिक वारिसान के रूप में भूमि के भौतिक धारण में है तथा काश्त करते है। इस प्रकार यह अभिवचन वाद पत्र में विद्यमान रहते हुए इस बिन्दू को नवीन तथ्य प्रकट होना किस प्रकार से माना जा सकता है, ऐसा उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय में कहीं भी वर्णित नहीं किया तथा इस तथ्यात्मक स्थिति को नवीन तथ्य नहीं माना जा सकता तथा मात्र इसी एकमात्र बिन्दू पर विवेचन कर जो आदेश उपखण्ड अधिकारी अरांई ने पारित किया है, वह अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी अरांई ने वाद विषय को सुरक्षित रखने तथा भूमि को दौराने वाद खुर्द–बुर्द होने, बेचान, हस्तान्तरण से रोकने बाबत् किसी प्रकार का कोई विचार ही नहीं किया तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय द्वारा तय किये जाने वाले बिन्दूओं पर अपना विवेचन केन्द्रित करने के बजाय निर्णय पारित किया है जो अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। वाद पत्र तथा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में जो तथ्यात्मक विवरण अंकित किये गये है, उक्त तथ्यात्मक विवरण किस प्रकार से गलत माना जा सकता है, ऐसा कोई कारण अंकित किये बिना टिप्पणी अंकित कर जो निर्णय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किया गया है, वह अपील के माध्यम से निरस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
भजमेर

Scanned with CamScanner

किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 01/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2023 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक उक्त प्रकरण में फोर्मल पक्षकार हैं। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में किए गए निर्णय से उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

6. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया तथा साथ ही एक प्रार्थना पत्र पृथक से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत दौराने वाद अप्रार्थीगण को भूमि के भौतिक धारण में प्रार्थी के हिस्से अनुसार काश्त करने से नहीं रोकने तथा वाद के लंबित रहते भूमि को अन्य किसी को बेचान, हस्तांतरण नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने की प्रार्थना करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 20.10.2023 के द्वारा प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अपील के माध्यम से कथन किया कि वादी तथा प्रतिवादीगण सहकाश्तकार है तथा हरचंद पुत्र हीरा अविवाहित फौत होने के कारण उसके हिस्से पर भी वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 विधिक वारिसान के रूप में भूमि पर काबिज काश्त है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उक्त तथ्य को नवीन तथ्य मानते हुए प्रार्थना पत्र को बिना किसी विवेचन किए अविधिक रूप से खारिज किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा जब अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.10.2023 का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा बावत अनुतोष चाहा गया था परंतु अधीनस्थ न्यायायल द्वारा उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 के नियम 4 का उल्लंघन बताते हुए आदेश में वर्णित किया कि *"यदि किसी व्यादेश के लिए किसी आवेदन में या ऐसे आवेदन का समर्थन करने वाले किसी शपथ पत्र में किसी पक्षकार ने किसी तात्विक विशिष्टि के संबंध में जानते हुए मिथ्या या भ्रामक कथन किया है और विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना व्यादेश दिया गया था तो न्यायाला को उस दशा में रद्द कर देगा जिससे वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समझता है कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक नहीं है।"* अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बिना विधिक निर्णय पारित किए प्रकरण में नवीन तथ्य मानते हुए प्रार्थना पत्र का बिना विवेचन किए प्रकरण में अलग ही फाइण्डिंग देते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है चूंकि कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से पैरा संख्या 2 में बोल्ड अक्षरों में अंकित किया गया था कि **हरचंद पुत्र हीरा का अविवाहित ना औलाद फौत होने से उसके प्रार्थी एवं अप्रार्थी**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

संख्या 1 व 2 विधिक वारिस के रूप में काबिज होकर कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। परंतु इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर यह मान लिया कि उनके समक्ष यह तथ्य नवीन प्रकट हुए है व अपीलांट द्वारा अंतर्गत धारा 212(4) का उल्लंघन किया गया है। चूंकि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह पूर्व में ही स्पष्ट अंकित कर दिया था। इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य नवीन तथ्य नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रार्थी का प्रार्थना पत्र का अवलोकन किए व बिना उनकी बहस पर गहनता पूर्वक मनन किए अविधिक निर्णय पारित किया है। जो कि न्याय संगत नहीं कहा जा सकता उनके द्वारा निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः इसी क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 01/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2023 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वह प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अवलोकन कर प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/04/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner